भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 913

जिसका उत्तर 7फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

18 माघ, 1945 (शक)

डीपफेक के विरुद्ध कार्रवाई

913. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री देवजी पटेलः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीपफेक के खतरे का सामना करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क)से (ग): सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा हमारे सभी डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमारेसमयकासबसेमहत्वपूर्णआविष्कारऔरनवाचारहै। एआईनेहालकेदिनोंमेंअपनीवृद्धिऔरक्षमताओंकोतेजकियाहैऔरहमएआईकेविकासमेंनए मोड़काअनुभवकररहेहैं। एआईहमारीडिजिटलअर्थव्यवस्थाकेकाइनेटिकएनबलरकाप्रतिनिधित्वकरताहैऔरहमारीडिजिटलऔरनवाचारअर्थव्यवस्थाकोऔरउत्प्रेरितकरेगा।

सरकारहमारेलोगोंकीभलाईकेलिएएआईकीशक्तिकाउपयोगसुनिश्चितकरनेऔरस्वास्थ्यसेवा, कृषि, शिक्षा, विनिर्माण, वित्तऔरअन्यजैसेक्षेत्रोंमेंएआईकेउपयोगकेतेजीसेप्रसारकोसुनिश्चितकरनेकेलिएप्रतिबद्धहै। हालाँकि, सरकारएआईके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसानोंऔरआपराधों सेभलीभांतिपरिचितहै। डीपफेकएआईद्वारासंचालितगलतसूचनाहैं। इसकेअलावा, डीपफेकऑडियो, विजुअलयाऑडियो-विज़ुअलजानकारीकीप्रकृतिमेंगलतसूचनाहोसकतीहैजोएआईकाउपयोगकरकेकृत्रिमरूपसेनिर्मित, उत्पन्नयासंशोधितकीजातीहैताकिऐसीगलतसूचनाप्राप्तकरनेवालेकिसीभीव्यक्तिकोबेईमानीयाधोखाधड़ीद्वारा धोखादियाजासके।

सभीडिजिटलनागरिकोंकेलिएएकखुला,
सुरक्षितऔरविश्वसनीयऔरजवाबदेहइंटरनेटसुनिश्चितकरनेकेउद्देश्यकोप्राप्तकरनेमेंमददकरनेकेलिए, इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय ("एमईआईटीवाई") जनताऔरहितधारकोंसेइनपुटप्राप्तकरताहै, जिसमेंमौजूदाकानूनमेंआवश्यकपरिवर्तनऔरनएकानूनकोपेशकरनेकीआवश्यकताशामिलहै। तदनुसार, यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिभारतमेंइंटरनेटखुला, सुरक्षितऔरविश्वसनीयऔरजवाबदेहहो, केंद्रसरकारनेसंबंधितहितधारकोंकेसाथव्यापकसार्वजनिकपरामर्शकेबाददिनांक 25.02.2021 कोसूचनाप्रौद्योगिकी (मध्यवर्तीदिशानिर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियमावली, 2021") अधिसूचितकियाहै, जिसेबादमेंदिनांक 28.10.2022 औरदिनांक 6.4.2023 मेंसंशोधितकियागयाथा। आईटी नियमावली, 2021सोशलमीडियामध्यस्थोंऔरप्लेटफार्मोंसहितमाध्यस्थोंपरविशिष्टकानूनीदायित्वडालताहै, ताकिसुरक्षितऔरविश्वसनीयइंटरनेटकेप्रतिउनकीजवाबदेहीसुनिश्चितकीजासके, जिसमेंनिषिद्धगलतसूचना, स्पष्टरूपसेगलतजानकारीऔरडीपफेककोहटानेकीदिशामेंउनकीत्वरितकार्रवाईशामिलहै। आईटी नियमावली, 2021मेंप्रदानकिएगएकानूनीदायित्वोंकापालनकरनेमेंमध्यस्थोंकीविफलताकेमामलेमें, वेआईटीअधिनियमकीधारा 79 केतहतअपनीसंरक्षित सुरक्षाखोदेतेहैंऔरआईटीअधिनियमऔरआईपीसीकीधारा 469 सहितभारतीयदंडसंहिता ("आईपीसी") सहितकिसीभीकानूनकेतहतप्रदानकिएगएपरिणामीकार्रवाईयाअभियोजनकेलिएउत्तरदायीहोंगे।
आईटी नियमावली, 2021मेंअन्यकेसाथ-साथनिम्नलिखितकानूनीदायित्वभी शामिलकिए गएहैं:

i. आईटी नियमावली, 2021कानियम 3(1)(ख) भारतीयइंटरनेटपरग्यारहप्रकारकीसामग्रीकोप्रतिबंधितकरताहै, जोमध्यस्थमंचपरउपलब्धहै।
ii. प्लेटफ़ॉर्मकोयहसुनिश्चितकरनेकीआवश्यकताहोतीहैकिउनकेउपयोगकर्तानियम 3 (1) (ख) औरअन्यकानूनोंकाउल्लंघनकरनेवालीसामग्रीकोसाझाकरनेयाप्रसारितकरनेकेलिएअपनेप्लेटफ़ॉर्मकाउपयोग न करेंऔरउनकेउपयोगकीशर्तेंस्पष्टरूपसेकानूनकेतहतग्यारहप्रकारकीसामग्रीकेउपयोगकोप्रतिबंधितकरतीहैं ।
iii. आईटी नियमावली, 2021कानियम 3(1)(ख)(v) और (vi) भारतीयइंटरनेटपरगलतसूचनाऔरस्पष्टरूपसेगलतजानकारीयाकिसीअन्यव्यक्तिकाप्रतिरूपणकरनेपररोकलगाताहै। डीपफेकएआईद्वारासंचालितगलतसूचनाकाएकऔररूपहै।
iv. आईटी नियमावली, 2021केनियम 3 (1) (घ) मेंप्लेटफार्मोंकोआईटी नियमावली, 2021केतहतनिर्धारितसमयसीमाकेभीतर, उपयुक्तसरकारयाउसकीअधिकृतएजेंसीसेअदालतकेआदेशयानोटिसप्राप्तहोनेपरयाउसकेद्वाराअधिकृतव्यक्तियाउसकेद्वाराअधिकृतव्यक्तिद्वाराकीगईशिकायतप्राप्तहोनेपरआईटी

नियमावली,2021केउपरोक्तप्रावधानोंकाउल्लंघनकरनेवालीजानकारी/सामग्रीतकपहुंचकोहटानेयाअक्षमकरनेकेलिएत्वरितकार्रवाईसुनिश्चितकरनेकेलिएअनिवार्यकियागयाहै।

v. आईटी नियमावली, 2021केनियम 4 (2) मेंकहागयाहैकिमहत्वपूर्णसोशलमीडियामध्यस्थभारतकीसंप्रभुताऔरअखंडता, राज्यकीसुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या सार्वजनिक व्यवस्था, या उपरोक्त से संबंधित या बलात्कार, यौन स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के संबंध में किसी अपराध के लिए उकसाने से संबंधित सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करके रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग करेंगे ।

सरकारनेआईटी नियमावली, 2021केतहतशिकायतअपीलीयसमितियोंकीभीस्थापनाकीहैताकिउपयोगकर्ताओंऔरपीड़ितोंकोमध्यस्थोंकेशिकायतअधिकारियोंद्वारालिएगएनिर्णयोंकेखिलाफ www.gac.gov.in परऑनलाइनअपीलकरनेकीअनुमतिदीजासके,

यदिवेडीपफेकसहितकानूनीउल्लंघनोंकेमामलेमेंशिकायतअधिकारीकेनिर्णयसेअसंतुष्टहैंयाउपयोगकर्ताओंयापीड़ितोंयाकिसीव्यक्तियाउसकीओरसेकिसीव्यक्तियाकिसीव्यक्तिसेशिकायतोंकानिवारणआईटी नियमावली, 2021के तहत तय समय सीमा के भीतरकरनेमेंविफलरहतेहैं।

डीपफेककेमाध्यमसेगलतसूचनासेहोनेवालेनुकसानकोरोकनेकेलिए,

एमईआईटीवाईनेप्रमुखसोशलमीडियाप्लेटफार्मोंकेसाथकईडिजिटलइंडियाडायलॉग्स ("डीआईडी") आयोजितकिए,

ताकिउन्हेंउनकेकानूनीदायित्वोंऔरप्रासंगिककानूनकेतहतअभियोजनकेपरिणामोंकेबारेमेंसावधानकियाजासके,

यदिउनकेप्लेटफॉर्मपरकोईभीनिषिद्धसामग्रीपाईजातीहै, जिसमें वह भी शामिल है जो केवलडीपफेकतकसीमितनहींहै।

सरकारने 100% अनुपालनकेलिएप्रवर्तनकेप्रतिअपनीशून्यसहिष्णुतानीतिकेहिस्सेकेरूपमेंप्लेटफार्मोंकोसूचितकियाहैकिउपयोगकीशर्तेंआईटी नियमावली, 2021केनियम 3 (1) (ख) केसाथपूरीतरहसेसंरेखितहोनीचाहिएऔरउनकेउपयोगकर्ताओंकोलॉगइनपरऔरनियमितअंतरालपरउन निषिद्ध सामग्री के बारे में चेतावनीदीजानीचाहिएजोउनकेप्लेटफार्मोंपरअनुमतिनहींहैताकि उनके उपयोगकर्ताओं के बीच इस बारे में पूरी जागरूकता सुनिश्चित हो सके कि आईटी नियमावली, 2021के तहत उनके प्लेटफॉर्म पर क्या अनुमेय है या नहीं।

साथही, उन्हेंआईटी नियमावली, 2021केउपरोक्तप्रावधानोंकाउल्लंघनकरनेवालीसूचना/सामग्रीतकपहुंचकोहटानेयाअक्षमकरनेकेलिएआईटी नियमावली, 2021केतहतत्वरितकार्रवाईकेअपनेदायित्वोंकेबारेमेंयाददिलायागयाहै।

जबकिएमईआईटीवाई मध्यस्थोंकोसमय-समयपरपरामर्शी निदेश जारीकररहाहै, 26 दिसंबर 2023 कोअपनीनवीनतमऐसे परामर्शी निदेशकेमाध्यमसे, एमईआईटीवाई नेमध्यस्थोंकोआईटी नियमावली,

2021केतहतनिर्धारितउचितपरिश्रमऔरशिकायतरिपोर्टिंगतंत्रकाअनुपालनसुनिश्चितकरनेकानिर्देशदियाहै, जिसकापालनकरनेमेंविफलतामध्यस्थोंकीओरसेआईटीनियमोंकाअनुपालन न करनेकेसमानहोगी, आईटी नियमावली, 2021औरइसकेपरिणामस्वरूपसंबंधितमध्यस्थस्वचालितरूपसेआईटीअधिनियमकीधारा 79 केतहतदायित्वसेछूटखोदेताहै। इसपरामर्शी निदेशमें *अन्यबातोंकेसाथ-साथ*निम्नलिखितनिर्देशशामिलहैंकि-

i. सुनिश्चितकरेंकिसोशलमीडियाप्लेटफॉर्मपरउपयोगकर्ता,आईटीनियमावली2021 का नियम 3(1)(ख) मेंनिषिद्धसामग्रीकाउल्लंघननहींकरतेहैं।

ii. निषिद्धसामग्रीकोपहलेपंजीकरणकेसमयऔरनियमितअनुस्मारककेरूपमें, विशेषरूपसे, लॉगिनकेहरउदाहरणपरउपयोगकर्ताकोस्पष्टरूपसेसूचितकियाजानाचाहिए ।

iii. उपयोगकर्ताओंकोआईपीसी, आईटीअधिनियमऔरअन्यकानूनोंकेतहतदंडात्मकप्रावधानोंसेअवगतकरायाजाएगाजोनियम 3 (1) (ख) केउल्लंघनकेमामलेमेंलगाए जा सकतेहैं।

iv. सेवाकीशर्तोंऔरउपयोगकर्तासमझौतोंकोलागूकानूनोंकेतहतकानूनप्रवर्तनएजेंसियोंकोकानूनीउल्लंघनोंकी रिपोर्टकरनेकेलिएमध्यस्थोंकेदायित्वकोस्पष्टरूपसेउजागरकरनाचाहिए;

v. मध्यस्थोंकोगलतसूचनायाजानकारीकोपहचाननाऔरहटानाचाहिएजोकिसीअन्यव्यक्तिकाप्रतिरूपणकर तीहै, जिसमेंडीपफेककाउपयोगकरकेबनाईगईजानकारीभीशामिलहै।

vi. मध्यस्थोंकोउपयोगकर्ताओं, पीड़ितोंयाउनकीओरसेकिसीभीव्यक्तिकोनियम 3 (1) (ख) यानियम 3 (2) (ख) सेसंबंधितउल्लंघनोंकीरिपोर्टसरलऔरआसानीसेसुलभतरीकेसेकरनेमेंसक्षमबनानाचाहिए, जिसमेंइन-ऐपउपयोगकर्तारिपोर्टिंगभीशामिलहै।

vii. मध्यस्थोंकोआदेशमेंउल्लिखितसमय-सीमाकेभीतरशिकायतअपीलीयसमितिकेआदेशोंकापालनकरनाचाहिएऔरएकरिपोर्टप्रकाशितकरनीचा हिए।

viii. मध्यस्थोंकोअवैधऋणऔरसट्टेबाजीऐप्सकेकिसीभीविज्ञापनकीअनुमतिनहींदेनेकेलिएअतिरिक्तउपायकरने चाहिए।

ix. मध्यस्थोंकोचेतावनीदीगईहैकिगैर-अनुपालनआईटीअधिनियमकीधारा 79 (1) केतहतप्रदानकीगईदेयतासेछूटखोदेंगें।

इसकेअलावा,

गृहमंत्रालयनागरिकोंकोसभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसंबंधितशिकायतोंकीरिपोर्टकरनेमेंसक्षमबनानेकेलिएएक राष्ट्रीयसाइबरअपराधरिपोर्टिंगपोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालितकरताहै, औरएकटोल-फ्रीहेल्पलाइन (1930) भीसंचालितकरताहै।

******